संख्या-2794/सैतीस-2-2016-1(67)/2012

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय : कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु बैंक ऋण पर 05 वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-147/प0-2/36(27)/कामधेनु जन0पत्रा0/2015-16, दिनांक-04 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पशुओं की नस्ल में सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि हेतु कामधेनु, मिनी कामधेनु, तथा माइक्रो कामधेनु (क्रमशः 100, 50 तथा 25 गाय/भैसों की) डेयरी इकाईयॉ स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश संख्या-58/2015/1985/सैतीस-2-2015-1(67)/2013 दिनांक 17 अगस्त 2015 एवं संख्या-06/2016/4172/सैतीस-2-2015-1(67)/2012 दिनांक 27 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये है।

2- उक्त योजना के कियान्वयन में पशुपालकों को आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा योजना की निम्नानुसार स्तम्भ-2 में अंकित वर्तमान व्यवस्था/प्राविधानों को एतद्द्वारा स्तम्भ-3 के अनुसार संशोधित किये जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।:-

क0 सं0	वर्तमान व्यवस्था/प्राविधान	संशोधित व्यवस्था/प्राविधान
1	2	3
1	100 गाय/ भैंसों की कामधेनु डेयरी इकाई की कार्ययोजना में गोबर गैस प्लान्ट मय 10 के0 वी0 जनरेटर स्थापित कराने हेतु रू0 14.50 लाख की धनराशि का प्राविधान है।	योजना को लाभार्थीपरक बनाने हेतु गोबर गैस प्लान्ट को एच्छिक किया जाता है। यदि लाभार्थी गोबर गैस संयंत्र नहीं लगाना चाहता है तो उसे निजी व्यय पर विद्युत संयोजन तथा जनरेटर की व्यवस्था करनी होगी। गोबर गैस प्लान्ट स्थापित न कराने पर इसके लिए निर्धारित धनराशि रु0 14.50 लाख योजना से कम करके लाभार्थी द्वारा संशोधित योजना बैंक को प्रस्तुत करनी होगी और तद्नुसार संशोधित योजना की धनराशि पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2	कामधेनु डेयरी योजना (100 दुधारू पशु) में ग्राइन्डर कम फीड मिक्स प्लान्ट स्थापित कराने पर 3.30 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान है।	योजना को लाभार्थीपरक बनाने हेतु इस कम्पोनेन्ट को ऐच्छिक किया जाता है। ग्राइन्डर कम फीड मिक्स प्लॉन्ट स्थापित न कराने पर इसके लिए निर्धारित धनराशि रु0 3. 30 लाख योजना से कम करके लाभार्थी द्वारा संशोधित योजना बैंक को प्रस्तुत करनी होगी और तद्नुसार संशोधित योजना की धनराशि पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
3	25 दुधारू पशुओं की माइक्रो कामधेनु योजना में मिल्किंग मशीन स्थापित कराने हेतु रू0 1.00 लाख का प्राविधान है।	माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थियों को मिल्किंग मशीन स्थापित कराना ऐच्छिक किया जाता है। जो लाभार्थी मिल्किंग मशीन क्रय नहीं करना चाहते है उन्हें योजना में इस मद हेतु निर्धारित मूल्य रु0 1.00 लाख कम करके संशोधित योजना बैंक को प्रस्तुत करेगें और तद्नुसार संशोधित योजना/धनराशि पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
4	कामधेनु योजना (100 पशु) में 02 मिल्किंग मशीन क्रय करने हेतु रू0 2.00 लाख तथा मिनी कामधेनु योजना (50 पशु) में 01 मिल्किंग मशीन क्रय करने हेतु रू0 1.00 लाख का प्राविधान किया गया है।	कामधेनु/मिनी कामधेनु योजनान्तर्गत केवल भैंसों की इकाई में मिल्किंग मशीन को ऐच्छिक किया जाता है। जो लाभार्थी मिल्किंग मशीन क्रय नहीं करना चाहते उन्हें योजना में इस मद पर निर्धारित मूल्य रु0-1.00 लाख प्रति मिल्किंग मशीन कम करके संशोधित योजना बैंक को करेगें और तद्नुसार संशोधित योजना /धनराशि पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5	योजनान्तर्गत लाभार्थी को इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या अधिकतम् 8 माह में पूर्ण करना आवश्यक है तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों को एक माह का अतिरिक्त समय दिये जाने का प्राविधान है।	इकाई पूर्ण करने की अवधि बढ़ा कर नौ माह किया जाता है तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी की समीक्षा के उपरान्त लाभार्भियों को एक बार में दो माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।। यदि लाभार्थी द्वारा इस अतिरिक्त समय में भी इकाई पूर्ण रूप से स्थापित नही की जाती है, तो उसे योजना से वंचित कर दिया जायेगा। पूर्व में जिन इकाईयों को ऋण स्वीकृत हो चुका है और उनके द्वारा निर्धारित अवधि में मानकों के अनुसार निर्धारित संख्या में पशुओं का क्रय पूर्ण नही किया गया है उन्हें भी शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अन्तिम रूप से तीन माह का अतिरिक्त समय इकाई पूर्ण करने हेतु दिया जाता है।

3- योजना में लाभार्थी, बैंक तथा राज्य सरकार के बीच डेयरी स्थापित कराने तथा ऋण के भुगतान हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया गया है। अतः उक्त संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में यथा आवश्यकता संशोधित त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

4- वर्तमान में लाभार्थियों द्वारा नियमित रूप से बैंक ऋण की किश्त अदा करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 05 वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक कामधेनु इकाई के लिए अधिकतम रू. 32.82 लाख, मिनी कामधेनु इकाई के लिए अधिकतम रू0 13.66 लाख तथा माइक्रो कामधेनु इकाई के लिए अधिकतम रू0 07.29 लाख देय है। यदि किसी लाभार्थी द्वारा किसी कम्पोनेन्ट (गोबर गैस संयंत्र/ फीड मिक्स प्लान्ट/मिल्किंग मशीन) की संख्या कम करके संशोधित योजना प्रस्तुत की

जाती है तो संशोधित योजना के सापेक्ष बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि पर ही अधिकतम 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 05 वर्षों के लिए अनुमन्य ब्याज की धनराशि के बराबर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5- जिन लाभार्थियों का पूर्व में ऋण स्वीकृत होकर धन आहरित हो चुका है, वे गोबर गैस संयंत्र/ फीड मिक्स प्लान्ट/मिल्किंग मशीन में से यदि कोई कम्पोनेन्ट स्थापित नहीं कराना चाहते हैं तो उन्हें उक्त कम्पोनेन्ट की आहरित धनराशि वापस करके पुनरीक्षित योजना बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

6- कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना के संबंध में हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-58/2015/1985/सैतीस-2-2015-1(67)/2012 दिनांक 17 अगस्त 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। योजना के अन्य प्राविधान/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

7- कृपया तद्नुसार कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु इकाईयों की स्थापना के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2794/सैतीस-2-2016 तद् दिनांक :

. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख स्टाफ आफ़िसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि एवं दुग्ध विकास विभाग।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ ।
7- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, मण्डल, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद्, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।